563

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

निग-1207-I-16

प्रकरण क्र. ..../निगरानी/2015—16

1. श्रीमति ज्योति पत्नि स्व. श्री बालाराम
2. रेखाबाई
3. आरतीबाई
4. कुं अंका
5. अजय नाबालिगान पुत्र ,पुत्री स्व. बालाराम व सरपरस्त मॉ श्रीमति ज्योति पत्नि स्व. श्री बालाराम काछी निवासीगण ग्राम उदयपुर तहसील बासौदा ,जिला विदिशा (म.प्र.)

..............आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

श्री आर.एस. सेंगर एड. द्वारा आज दि. 18/4/16 को प्रस्तुत
18-4-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. सर्वसाधारण
2. नारायण पुत्र फुल्लू काछी निवासी ग्राम बसरिया तहसील बासौदा जिला विदिशा (म.प्र)

..........अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

1346
18-4-16
राजस्व आयुक्त

<u>राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू— राजस्व संहिता अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार बासौदा द्वारा प्रकरण कमांक 28 / अ —6 / 2014—15 नारायणसिंह विरूद्ध सर्वसाधारण आदि (ग्राम उदयपुर) में पारित आदेश दिनांक 08/02/2016 के विरूद्ध व्यथित होकर प्रस्तुत।</u>

माननीय महोदय,

निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है-

1. यह कि, उक्त निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय बासौदा के यहाँ दिनांक 05/11/2016 को एक आवेदन नामांतरण प्रकरण कमांक 28/अ– 06/2014—15 में स्थगन आदेश धारा 32 के तहत प्राप्त करने हेतु इस आधार पेश किया कि उक्त प्रकरण के पक्षकारों के मध्य स्वत्व घोषणा हेतु न्यायालय श्रीमान द्वितीय सिविल जज वर्ग – 2 गंज बासौदा में प्रकरण कमांक 124 ए/2013 ज्योतिबाई बनाम नारायण गतिशील है। उपरोक्त वादपत्र व न्यायालयीन आदेश पत्रिका की प्रतिलिपि पेश की और निवेदन किया कि व्यवहार न्यायालय में पक्षकारों के मध्य स्वत्व के निर्धारण के लिए वाद लंबित है , अतः व्यवहार न्यायालय के निर्णय के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के नामांतरण की कार्यवाही की जाती है तो वह विधि विरूद्ध होकर अवैध होगी इस कारण सिविल प्रकरण का अंतिम निर्णय होने तक के लिए विचाराधीन कार्यवाही को स्थगित रखा जावे।

XXIX(a)-BR(H)-11

563

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1207-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.1.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	